प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1310/2003

याचिकाकर्ता - अंजनी कुमार त्रिपाठी, आयु लगभग 32 वर्ष, पिता श्री आत्माराम त्रिपाठी, निवासी ग्राम ओरछा, तहसील नारायणपुर, जिला बस्तर।

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़) ।

2. जिला कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)।

3. अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नारायणपुर, जिला बस्तर।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / विकासखंड अधिकारी, विकासखंड-ओरछा, नारायणपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)।

5. सरपंच, ग्राम पंचायत पद्मकोट, ओरछा, जिला बस्तर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत याचिका, जिसमें परमादेश, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा की प्रकृति की रिट जारी करने का निवेदन किया गया है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1310/2003

याचिकाकर्ता - अंजनी कुमार त्रिपाठी,

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

आदेश

(दिनांक 8 फरवरी, 2007 को पारित)

.....

श्री भास्कर प्यासी, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से।

श्री अरुण साहू, अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से।

.....

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया—

(1) वर्तमान याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.1999 (अनुलग्नक पी./1) को इस आधार पर असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा उक्त आदेश छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 (संक्षेप में 'नियम, 1999') के नियम 7 के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। साथ ही यह प्रार्थना भी की गई है कि उत्तरवादीगण को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत पद्मकोट,

ओरछा, जिला बस्तर में पंचायत कर्मी-सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दें।

(2) निर्विवाद तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 02.04.1996 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा 500/- रुपये प्रतिमाह के स्थिर वेतन पर अस्थायी आधार पर पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी/पंचायत सचिव के प्रशिक्षण हेतु भेजा गया तथा दिनांक 28.02.1997 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) द्वारा उसे प्रशिक्षण से मुक्त किया गया।

3) आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/1 में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 17.06.1999 की सामान्य सभा की बैठक में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी के पद से हटाया जाए, क्योंकि वह बाहरी व्यक्ति है, अर्थात् संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी नहीं है। साथ ही, याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया कि वह दिनांक 21.06.1999 से उक्त पद का संपूर्ण प्रभार सौंप दे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) उक्त ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसरण में, याचिकाकर्ता की पंचायत कर्मी के रूप में सेवाएँ दिनांक 21.06.1999 (अनुलग्नक P/1) से समाप्त कर दी गईं ।

(5) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि नियम, 1999 के नियम 7 में पंचायत के सदस्य की सेवा समाप्त करने से पूर्व अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। वर्तमान प्रकरण में उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, न ही कोई निश्चित आरोप निर्धारित किए गए और न ही याचिकाकर्ता को सेवा समाप्ति से पूर्व अभियोग पत्र प्रदान किया गया तथा कोई विधिवत जांच भी नहीं की गई।

(6) विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि नियुक्ति अस्थायी आधार पर थी, तथापि सेवा समाप्ति का आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि याचिकाकर्ता बाहरी व्यक्ति है, अर्थात् संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश दोषपूर्ण है तथा सेवा से हटाया जाना एक प्रमुख दंड

के अंतर्गत आता है, जिसे नियम, 1999 के नियम 7 में निर्धारित विधिक प्रावधानों का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता था।

(7) यह निर्विवाद है कि ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश पारित करने से पूर्व नियम, 1999 के नियम 7 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इस न्यायालय ने **ढालूराम कोसरिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[1]**, बीगन राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[2] **तथा प्रकाश चंद सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[3] के प्रकरणों में यह प्रतिपादित किया है कि विधिक प्रावधानों का पालन न करना तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करना, न केवल नियम, 1999 के नियम 7 के प्रावधानों का, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) का भी उल्लंघन है। सेवा से हटाने का आदेश दंडात्मक प्रकृति का होता है तथा इससे नागरिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, अतः नियम, 1999 के नियम 7 में निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार विधिवत जांच किए बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) अतः यह स्पष्ट है कि उत्तरवादीगण द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व विधि के वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

(9) उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/1 खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

(10) जहाँ तक बकाया वेतन का प्रश्न है, इस संबंध में यह स्थापित करने हेतु कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त अवधि में याचिकाकर्ता अन्यत्र लाभप्रद रोजगार में था या नहीं। तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि सेवा समाप्ति का आदेश गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के अभाव के कारण निरस्त किया गया है, न्याय के हित में 50% बकाया वेतन प्रदान करना पर्याप्त होगा।

---

1 2006 (2) C.G.LJ 186
2 2006 L.T. (C.G.) 41
3 2005 L.T. (C.G.) 151

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur